



दूरभाष : 07774-261609, 7747032999
Telephone : 07774-261609, 7747032999
फैक्स : 07774-261601
Fax : 07774-26161
E-mail : sainikschoolambikapur@rediffmail.com
Website : www.sainikschoolambikapur.org.in

BY E-MAIL/REGISTERED POST

सैनिक स्कूल अम्बिकापुर

(रक्षा मंत्रालय के अधीन संचालित)

Sainik School Ambikapur

(Under the aegis of Ministry of Defence)

मेण्ड्राकलां, Mendra Kalan

जिला – सरगुजा (छत्तीसगढ़)

Dist – Surguja (Chhattisgarh)

पिन कोड – 497 001

Pin Code – 497 001

SSAP/Est/EE21-22/1004-XIII/0407

30 जुलाई 2021

List enclosed
(22 candidates)

सत्र 2021–22 में सैनिक स्कूल अम्बिकापुर में प्रवेश हेतु चयनित अभ्यर्थियों के अभिभावकों के लिए निर्देश

प्रिय अभिभावक,

1. सैनिक स्कूल अम्बिकापुर परिवार के सभी सदस्यों के ओर से मैं आपको तथा आपके परिवार को आपके पाल्य का सैनिक स्कूल अम्बिकापुर की सत्र 2021–22 की कक्षा नौवीं में प्रवेश हेतु औपबधिक रूप से चयनित होने के लिए बधाई देता हूँ और सैनिक स्कूल परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूँ।
2. रक्षा मंत्रालय के अधीन संचालित छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र सैनिक स्कूल, सैनिक स्कूल अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के ग्राम-मेण्ड्राकलां में स्थित है जो अम्बिकापुर रेलवे स्टेशन से लगभग 20 किलोमीटर एवं अम्बिकापुर बस स्टैण्ड से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर अम्बिकापुर-बिलासपुर हाईवे के पास स्थित है। अम्बिकापुर रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैण्ड से बस एवं आटो के माध्यम से सैनिक स्कूल अम्बिकापुर पहुँचा जा सकता है। आपको अपने पाल्य सहित प्रवेश हेतु दिनांक **10 अगस्त 2021** को प्रातः **08:45** बजे सैनिक स्कूल अम्बिकापुर, मेण्ड्राकलां, जिला – सरगुजा में उपस्थित होना अनिवार्य है।
3. प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित सभी जानकारी एवं निर्देश आपके अवलोकन के लिए संलग्न है। आपसे अनुरोध है निर्देशों को भलीभांति पढ़कर समझें एवं निर्देशानुसार दस्तावेजों को तैयार करें ताकि प्रवेश प्रक्रिया उचित ढंग से बिना किसी असुविधा के पूर्ण हो सके। प्रवेश के लिए उपस्थित होने के दौरान अभ्यर्थी उचित पोशाक (शर्ट, पैन्ट एवं जूता) पहने एवं उचित हेयरकट में होना आवश्यक है।

4. कोरोना वायरस संक्रमण को ध्यान में रखते हुए अनुरोध है कि निम्न निर्देशों का कड़ाई से पालन करें :-

(क) प्रवेश हेतु उपस्थित होने पर अभिभावक एवं अभ्यर्थी दोनों का कोरोना निगेटिव होने का RTPCR रिपोर्ट या कोरोना वैक्सीन के दोनो डोज लगे होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी/अभिभावक के कोरोना संक्रमित होने पर स्कूल प्रशासन को दूरभाष नंबर 7747032999 एवं ईमेल आईडी sainikschoolambikapur@rediffmail.com पर अवश्य सूचित करें ताकि प्रवेश हेतु नई तिथि निर्धारित की जा सके।

(ख) सैनिक स्कूल अम्बिकापुर में प्रवेश हेतु उपस्थित होने के दौरान फेसमास्क, फेसशील्ड, ग्लब्स एवं सेनेटाइजर का प्रयोग करना अनिवार्य है।

(ग) यात्रा के दौरान भी कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु सभी आवश्यक सावधानी बरतें।

5. प्रवेश हेतु निर्धारित दिनांक को शिक्षण शुल्क रु 95,860/- (सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल एवं रक्षा वर्ग के लिए)/रु 94,360/- (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए) जमा करना अनिवार्य है। शिक्षण शुल्क 'PRINCIPAL, SAINIK SCHOOL AMBIKAPUR' के नाम देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करनी है, जो भारतीय स्टेट बैंक अम्बिकापुर, (कोड नं. 0310) के नाम जारी किया गया हो। फीस की वर्गीकृत जानकारी इस पत्र के परिशिष्ट 'क' में दी गई है। शिक्षण शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या स्कूल के बैंक खाता में सीधे जमा किया जा सकता है। ऑनलाइन या स्कूल के बैंक खाते में किए गए भुगतान की रसीद/यूटीआर नंबर को दस्तावेजों के साथ संलग्न करना होगा। सैनिक स्कूल अम्बिकापुर के बैंक खाते का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) बैंक का नाम : भारतीय स्टेट बैंक
(ख) शाखा का नाम : मुख्य शाखा अम्बिकापुर
(ग) खाता क्रमांक : 30469251040
(घ) खाता का नाम : प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अम्बिकापुर (फीस कलेक्शन एकाउंट)
(ङ) आइएफएससी कोड : SBIN0000310

6. कृपया प्रवेश के लिए उपस्थित होने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों को पूर्णरूप से भरकर अवश्य लाएं। आवश्यक दस्तावेजों का प्रारूप संलग्न है। ध्यान दें निर्धारित तिथि को आपके पाल्य के औपबंधित प्रवेश हेतु दिए गए प्रपत्रों को पूर्ण कर मूलप्रति जमा करना अनिवार्य है :-

(क) स्थानान्तरण प्रमाण पत्र :- आपका पाल्य सैनिक स्कूल अम्बिकापुर में प्रवेश लेने से पूर्व जिस विद्यालय में पढ़ रहा था, उस विद्यालय का स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (TC)। स्थानान्तरण प्रमाण पत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए अन्यथा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(ख) जन्म तिथि प्रमाण पत्र :- स्थानीय निकाय (नगर पालिक निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत) से निर्धारित प्रारूप में जन्म प्रमाण पत्र एवं भारतीय जन्म व मृत्यु अधिनियम 1969 के अधीन प्रदत्त शक्तियों द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र/ च्वाईस सेन्टर (ई सेवा केन्द्र) द्वारा प्रदत्त जन्म प्रमाण पत्र।

- (ग) कक्षा पांचवीं / आठवीं की अंक सूची (प्रगति पत्र) ।
- (घ) अधिवासी (Domicile) प्रमाण पत्र :- राज्य शासन द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में स्थानीय तहसीलदार / समक्ष अधिकारी द्वारा निर्गत अधिवासी प्रमाण पत्र ।
- (ङ.) पिछड़ा वर्ग-एनसीएल / अनुसूचित जाति / जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए :- पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमि लेयर), अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के आरक्षण हेतु निर्धारित जाति प्रमाण पत्र संबंधित राज्य शासन के निर्धारित प्रारूप में संबंधित राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत होना आवश्यक है, अन्यथा स्वीकार्य नहीं होगा ।
- (च) अनुबंध पत्र :- 20/- रुपये के गैर न्यायिक स्टैम्प पेपर पर टाइप करवाना है । उक्त अनुबंध पत्र में पाल्य के पिता/माता को ही हस्ताक्षर करना होगा जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए ।
- (छ) बन्धपत्र :- 20/- रुपये के गैर न्यायिक स्टैम्प पेपर पर टाइप करवाना है । इस बंधपत्र में कुल 04 (चार) अलग-अलग सदस्य जिसमें दो साक्षी (Witness) एवं दो जमानतदार (Surety) होंगे। उक्त अनुबंध पत्र को कार्यपालिक दण्डाधिकारी / तहसीलदार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए ।
- (ज) अन्डरटेकिंग :- स्कूल द्वारा निर्धारित प्रारूप में पूर्णरूप से भरकर अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित ।
- (झ) आय प्रमाण पत्र :- 20/- रुपये के गैर न्यायिक स्टैम्प पेपर पर टाइप करवाना है । कृपया ध्यान दें आय प्रमाण पत्र संबंधित कार्यपालिक दण्डाधिकारी / तहसीलदार द्वारा निर्गत एवं हस्ताक्षरित होना आवश्यक है । आय प्रमाण-पत्र की प्रति प्रतिवर्ष ग्रीष्मकालीन अवकाश के पश्चात स्कूल कार्यालय में जमा करना होगा ।
- (ञ) वेतन भुगतान पावती :- केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए जून/जुलाई माह के वेतन भुगतान पावती की दो प्रति ।
- (ट) केवल रक्षा कर्मियों के लिए :-
- (i) अभिलेख कार्यालय से पिछले माह के वेतन भुगतान पावती की दो प्रति ।
- (ii) वर्तमान यूनिट द्वारा जारी सेवा प्रमाण पत्र ।
- (ठ) केवल भूतपूर्व रक्षा कर्मियों के लिए :- सेवानिवृति प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।
- (ड) स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट :- शासकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित ।
- (ढ) व्यक्तिगत विवरण :- स्कूल द्वारा निर्धारित प्रारूप में पूर्णरूप से भरकर अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित ।

(ण) एंटी रैगिंग शपथ पत्र :- 20/- रुपये के गैर न्यायिक स्टैम्प पेपर पर टाइप करवाना है । जिसमें पिता/माता (Deponent) द्वारा हस्ताक्षरित तथा शपथ आयुक्त द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए ।

(त) Indemnity Bond :- स्कूल द्वारा निर्धारित प्रारूप में पूर्णरूप से भरकर अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित । इस दस्तावेज को भी ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद प्रतिवर्ष प्रस्तुत करना होगा ।

(थ) Affidavit :- ₹ 20/- के गैर न्यायिक स्टैम्प पेपर पर टाइप कर माता/पिता के हस्ताक्षर तथा नोटरी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना होगा ।

(द) नमूना हस्ताक्षर :- स्कूल द्वारा निर्धारित प्रारूप में पूर्णरूप से भरकर अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित ।

(ध) आधार कार्ड :- अभ्यर्थी के आधार कार्ड की प्रतिलिपि ।

(न) बैंक पास-बुक :- अभ्यर्थी के बैंक पास-बुक के प्रथम पृष्ठ की प्रतिलिपि जिसमें खाता नंबर एवं IFSC Code स्पष्ट हो ।

(प) रंगीन फोटोग्राफ :- हाल ही में खींची हुई अभ्यर्थी की 06 पासपोर्ट साइज फोटो एवं अभ्यर्थी का माता, पिता एवं अभिभावक के साथ 02 संयुक्त पासपोर्ट साइज फोटो ।

(फ) ई-मेल खाता :- अभिभावक/अभ्यर्थी के ईमेल खाते का विवरण ।

(ब) प्रवेश पत्र एवं अंकपत्र :- राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा जारी प्रवेश परीक्षा के प्रवेश पत्र एवं अंकपत्र की प्रतिलिपि ।

7. कड़िका 6 में दी गई प्रपत्रों के नमूने (प्रोफॉर्मा) सैनिक स्कूल अम्बिकापुर की वेबसाइट "www.sainikschoolambikapur.org.in" पर भी उपलब्ध है ।

8. निर्धारित दिनांक को उपस्थित न होने पर अथवा दिए गए दस्तावेजों को नियमानुसार भरकर अपने साथ न लाने पर आपके पाल्य को दी गयी सीट, वरीयता क्रम में प्रतिक्षारत् अगले उम्मीदवार को आबंटित कर दी जाएगी, जिसके ऊपर आपके व आपके पाल्य की कोई दावेदारी नहीं रहेगी ।

9. कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु वर्तमान में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित की जा रही है । सैनिक स्कूल अम्बिकापुर में औपबंधिक प्रवेश होने के पश्चात ऑनलाइन क्लासेस के लिए माता-पिता का व्हाटसएप नम्बर का विवरण स्कूल कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा ।

10. यदि प्रवेश के पश्चात् आप अपने पाल्य को किसी भी कारणवश स्कूल से निकालते हैं तो नियमानुसार आपके द्वारा जमा कराई गई राशि जब्त कर ली जाएगी । यदि आपके पाल्य को किसी भी तरह की छात्रवृत्ति सरकार द्वारा दी गई हो, तो वह भी आपको पूर्ण ब्याज सहित वापस करनी होगी ।

11. आपसे अनुरोध है कि अपने पाल्य का प्रवेश करवाने से पहले स्कूल में उपलब्ध सुविधाओं जैसे छात्रावास, भोजन व्यवस्था, खेलकूद आदि से अवगत हो जायें ।

12. अभिभावकों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे स्कूल कर्मचारियों से सौहार्द्रपूर्ण व्यवहार रखेंगे। सभी अभिभावकों के लिए स्कूल द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य है। आपसे आशा की जाती है कि आप अपने पाल्य को उपर्युक्त आचरण का पालन करने हेतु प्रेरित करेंगे ताकि उसमें Officer Like Qualities (OLQs) का विकास हो सके। आपसे यह भी आशा की जाती है कि आप समय-समय पर नियमित रूप से अपने पाल्य की प्रगति का सक्रिय मूल्यांकन करते रहेंगे और उसके विकास में सतत रुचि लेते रहेंगे तथा हाउस मास्टर, शिक्षकों एवं वरिष्ठ अध्यापक के सतत संपर्क में रहेंगे।

13. कैंडेटों से मिलने के लिए स्कूल प्रशासन द्वारा प्रत्येक माह के दूसरे शनिवार का दिन निर्धारित किया गया है, कृपया निर्धारित तिथि एवं समय पर ही कैंडेटों से मिलने के लिए आएं। अति आवश्यक होने पर अभिभावक स्कूल प्रशासन से अनुमति लेकर अन्य दिवसों पर भी स्कूल आकर अपने पाल्य से मिल सकते हैं। स्कूल के दिशा-निर्देशों की अवहेलना करने पर आपके पाल्य के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

14. अभिभावक शिक्षण प्रमाण पत्र, शुल्क संबंधी प्रमाण पत्र या कैंडेट को आकस्मिक छुट्टी पर ले जाना चाहते हों तो स्कूल प्रशासन को कम से कम तीन दिवस पूर्व आवेदन प्रस्तुत करें। आपको सलाह दी जाती है कि विद्यालय में पत्राचार करते समय पाल्य का नाम, स्कूल/एडमिशन नंबर, हाउस का नाम, कक्षा तथा मोबाइल नंबर का उल्लेख अवश्य करें। भविष्य में यदि अभिभावक अपना पता/मोबाइल नंबर बदलते हैं तो आवेदन पत्र के माध्यम से स्कूल प्रशासन को अवश्य सूचित करें ताकि पत्राचार/संपर्क करने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो।

15. अभिभावकों को अपने पाल्य के लिए एक स्थानीय अभिभावक को भी अवश्य नामित करना चाहिए। अभिभावक द्वारा अधिकृत करने पर स्थानीय अभिभावक कैंडेट के छुट्टी/यात्रा में सहायक हो सकता है। स्थानीय अभिभावक को स्कूल के सभी दिशा-निर्देशों के बारे में अवगत होना चाहिए।

16. आपसे अनुरोध है कि आप अपने पाल्य तथा स्कूल से संबंधित विभिन्न गतिविधियों की जानकारी के लिए सैनिक स्कूल अम्बिकापुर की वेबसाइट www.sainikschoolambikapur.org.in का नियमित तौर पर अवलोकन करते रहें।

17. उपर्युक्त नियमों के संबंध में स्पष्टीकरण के लिए कार्यालय अवधि में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर या स्कूल के फोन नं. 7747032999 से प्राप्त किया जा सकता है।

18. मैं आपको एवं आपके पाल्य को आने वाले सात सालों तक सैनिक स्कूल अम्बिकापुर में प्रभावी एवं फलदायी पढ़ाई के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ।



(Handwritten signature)

(तजिन्दर सिंह गिल)

कमाण्डर

प्रभारी प्राचार्य

(Handwritten initials)

संलग्न. उपरोक्तानुसार।